

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)**

**दांडिक प्रकरण क0-51 / 15**  
**संस्थापित दिनांक 11 / 02 / 15**  
**फाईलिंग नं. 233504003602015**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

-: विरुद्ध :-

1. राजेश उर्फ लल्लू पिता प्यारे कापसे, उम्र 26 वर्ष,  
जाति कुन्बी, पेशा किसानी, नि0ग्राम तोरनवाड़ा,
2. लक्ष्मण पिता राजाराम कापसे,  
दोनों-जाति कुन्बी, पेशा किसानी, नि0 ग्राम तोरनवाड़ा,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्तगण**

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 08/03/2017 को घोषित)

- 1- अभियुक्त राजेश उर्फ लल्लू के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 279, 304 "ए" एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 146/196 के तहत तथा अभियुक्त लक्ष्मण के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि आपने दिनांक 22/01/15 समय 21:30 बजे स्थान पुलिया के पास ग्राम तोरणवाड़ा, थाना आमला में लोकमार्क पर वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो चेचिस नं. एम. बी.एल.-एच ए 10 ए यू सी 9 एम 00150 एवं इंजन नं. एच.ए.-10 ई.एम. सी 9 एम 00080 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। आपने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर मृतक भोजू उर्फ अज्जू की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। आपने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया। आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया। आप अभियुक्त लक्ष्मण ने दिनांक 22/01/15 समय 21:30 बजे स्थान पुलिया के पास ग्राम तोरणवाड़ा, थाना आमला में लोकमार्क पर वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो चेचिस नं. एम.बी.एल.-एच ए 10 ए यू सी 9 एम 00150 एवं इंजन नं. एच.ए.-10 ई.एम. सी 9 एम 00080 को बिना लाईसेंस के व्यक्ति को चलाने दिया। आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया।
- 2- दिनांक 22/11/16 को फरियादी बिस्सू और अभियुक्त राजेश के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त राजेश को भा0दं0वि0 की धारा 338(दो बार) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22/01/15 को शाम करीबन 21:30 बजे वह और राजेश उर्फ लल्लू कापसे एवं भोजू पिता लक्ष्मण

कापसे वापस तोरनवाड़ा आ रहे थे कि आमला से बोरी मेन रोड खापा जोड़ के पहले पुलिया के पास राजेश उर्फ लल्लू कापसे जो मोटर साईकिल चला रहा था ने काफी लापरवाही पूर्वक चलाकर पुलिया के पास मो0 सा0 स्लिप होकर पुलिया के पास गिर गये सामने से आ रही गाडी के लाईट में पुलिया दिलाई नहीं दी और वह लोग गिर गये जिससे राजेश को सिर दोनों पैर में चोट आई है एवं भोजू को सिर में गहरी चोट आई है। जिससे उसकी घटना वक्त ही मृत्यु हो गई वह पिछे बैठा था वह पिछे से मो0सा0 स्लिप होने से गिर गया जिससे उसे दोनों हाथ में चोट आई दाहिने आंख के पास गाल में बांये पैर के अंगुठे में चोट आई है। उतने में नीरज जैन सुनिल कापसे राजेश साहू युवराज गोस्वामी आदि आये उन्होंने थाना में एवं ग्राम तोरनवाड़ा में फोन करके बताया, तब 108 एम्बुलेंस एवं पुलिस वाले आये उन्होंने वह लोग को आमला अस्पताल लेकर गये ईलाज कराया।

4— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-10 तैयार किया गया है जिसके आधार पर अपराध क्रं0-40/15 का अपराध धारा-279, 337, 338 भा0द0वि0 एवं 3/181, 5/180, 146/196 मोटर व्ही0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जीरो की मार्ग इन्टीमेशन पर असल मार्ग इन्टीमेशन प्र0पी0 1 तैयार की गई। पंचायतनामा मृत्यु जांच प्र0पी0 2 तैयार किया गया। पी0एम0 रिपोर्ट तैयार किया गया। नक्शा पंचायत नामा प्र0पी0 3 तैयार किया गया, दिनांक 23/01/15 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-4 तैयार किया गया। दिनांक 29/01/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा दिनांक 23/01/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0-07 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 07/02/15 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-12 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— —: अभियुक्त राजेश के संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—“क्या आपने दिनांक 22/01/15 समय 21:30 बजे स्थान पुलिया के पास ग्राम तोरणवाड़ा, थाना आमला में लोकमार्क पर वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो चेचिस नं. एम.बी.एल.-एच ए 10 ए यू सी 9 एम 00150 एवं इंजन नं. एच.ए.-10 ई.एम. सी 9 एम 00080 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?”

3— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर मृतक भोजू उर्फ अज्जू की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?”

4— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के वाहन चलाया?

5— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?

7— —: अभियुक्त लक्ष्मण के संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि—

1— आपने दिनांक 22/01/15 समय 21:30 बजे स्थान पुलिया के पास

ग्राम तोरणवाड़ा, थाना आमला में लोकमार्क पर वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो चेचिस नं. एम.बी.एल.-एच ए 10 ए यू सी 9 एम 00150 एवं इंजन नं. एच.ए.-10 ई.एम. सी 9 एम 00080 को बिना लाईसेंस के व्यक्ति को चलाने दिया?

2- उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया?"

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-  
विचारणीय प्रश्न क0 1 व 3 का निराकरण**

8- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं 1 व 3 निराकरण किया जा रहा है जिससे की पुनरावृत्ति न हो।

9- अभियोजन बिस्सू (अ.सा.01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मोटर साईकिल को आरोपी राजेश चला रहा था बीच में मृतक भोजू बैठा था गाड़ी का मालिक लक्ष्मण था वे लोग धीमे गति से आ रहे थे। राजेश धीरे-धीरे मोटर साईकिल चला रहा था अचानक रोड़ पर कुत्ता आ गया, कुत्ते को बचाने के कारण मोटर साईकिल अनियंत्रित हो गई मोटर साईकिल गिरने से उन्हें चोट आई थी। ज्यादा चोट भोजू को आई थी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आरोपी राजेश गाड़ी को धीरे-धीरे चला रहा था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि कुत्ता आ जाने के कारण गाड़ी अनबेलेस हो कर गिर गई थी। जबकि यह गवाह स्वयं आहत है और इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्य ही यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि अभियुक्त घटना के समय वाहन मोटर साईकिल को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चला रहा था जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई।

10- अभियोजन साक्षी युवराज (अ.सा.02) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। बाद में उसके दुर्घटना के बारे में नहीं पता। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजेश साहू (अ.सा.03) अभियोजन साक्षी नीरज (अ.सा.04) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई थी, बाद में भी उसे दुर्घटना के बारे में नहीं पता। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखा। इस प्रकार उक्त गवाहों ने भी घटना का कारित हुई, के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11- अभियोजन साक्षी गजानंद (अ.सा.06), अभियोजन साक्षी सुनील (अ.सा.07), अभियोजन साक्षी सुरेश कापसे (अ.सा.08), अभियोजन साक्षी रतन (अ.सा.09) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

12- अभियोजन साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.05) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 22/01/16 को मृतक भोजू की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में मार्ग इन्टीमेशन उसने घटना स्थल पर जाकर लेख किया था जो प्र0पी0 1 है जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 23/01/15 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 10 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना स्थल पर जाकर मौका नक्शा प्र0पी0 4 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृतक भोजू की लाश का शव पंचनामा प्र0पी0 3 तैयार किया था जिसके बी से

बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने घटना स्थल से एक फेशन प्रो गाड़ी बिना नं. जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 7 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान उसने गवाहों के समक्ष आरोपी राजेश उर्फ लब्बू के कब्जे से एक मोटर साईकिल कं. एम0पी0 48 एम.जी. 7768 के कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 11 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। उसने गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 12 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान प्रार्थी बिस्सू गवाह निरज, राजेश साहू, युवराज, सुनिल गजानंद, सुरेश, रतन के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था जिसमें उसने कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। स्वयं आहत बिस्सू (अ.सा.01) और राजेश ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

13— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त राजेश ने वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो चेचिस नं. एम.बी.एल.—एच ए 10 ए यू सी 9 एम 00150 एवं इंजन नं. एच.ए.—10 ई.एम. सी 9 एम 00080 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त राजेश ने वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर मृतक भोजू उर्फ अज्जू की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 व 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

#### **विचारणीय प्रश्न कं 4 5 का निराकरण एवं** **अभियुक्त लक्ष्मण के संबंध में विचारणीय प्रश्न कं 1, 2 का निराकरण**

14— अभियोजन साक्षी बिस्सू (अ.सा.1) ने स्वीकार किया है कि राजेश धीरे-धीरे मोटर साईकिल चला रहा था और प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आरोपी राजेश गाड़ी को धीरे-धीरे चला रहा था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त घटना दिनांक को वाहन मोटर साईकिल को चला रहा था। किन्तु अभियोजन साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.05) ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि घटना के समय वाहन सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 07 एवं प्र0पी0 11 के जप्ती के समय अभियुक्त के पास बिना लायसेंस के चला रहा था एवं बिना बीमा के चला रहा था। उसी प्रकार अभियुक्त लक्ष्मण के संबंध में भी यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि वाहन का स्वामी होते हुये बिना लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाने को दिया एवं वाहन फेसन हीरो मोटर साईकिल को बिना बीमा के चलवाया। उक्त परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त राजेश के द्वारा घटना दिनांक को वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो को घटना के समय बिना लायसेंस के चलाया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया। और यह भी नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त लक्ष्मण के द्वारा वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो को बिना लायसेंस और बिना बीमा के चलवाया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 4, 5 एवं विचारणीय प्रश्न कं 1 व 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता

है।

15— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राजेश ने वाहन मोटर साईकिल फेसन हीरो चेचिस नं. एम.बी.एल.-एच ए 10 ए यू सी 9 एम 00150 एवं इंजन नं. एच.ए.-10 ई.एम. सी 9 एम 00080 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राजेश ने वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर मृतक भोजू उर्फ अज्जू की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राजेश ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राजेश ने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

16— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त लक्ष्मण के द्वारा बिना लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाने दिया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त लक्ष्मण के द्वारा बिना बीमा के वाहन चलवाया। इस प्रकार अभियुक्त राजेश को भा0द0वि0 की धारा-279, 304“ए” एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। साथ ही अभियुक्त लक्ष्मण को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17— प्रकरण में अभियुक्तगण के धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर साईकिल एम0पी0-48एम0जी0-7768 पूर्व से आवेदक/सुपुर्ददार लक्ष्मण पिता राजाराम, जाति कुन्बी, नि0ग्राम तोरनवाड़ा, जिला बैतूल की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

